4.10 प्रतिभू का दायित्व (Liability of Surety)

प्रतिभू सामान्यतया उस समस्त राशि व कार्य के लिए उत्तरदायी होता है जिसके लिए मूल ऋणी को स्वयं दोषी ठहराया जा सकता है। धारा 128 के अनुसार यदि अनुबन्ध में इसके विपरीत कुछ न दिया गया हो, तो प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के साथ सह-विस्तृत होता है।

उपर्युक्त नियम के अनुसा, ऋणदाता मूल अनुबन्ध के अन्तर्गत जो कुछ मूल ऋणी से वसूल कर सकता था, वही सब वह प्रतिभू में प्राप्त करने का अधिकारी है। किन्तु अनुबन्ध करते समय प्रतिभू ने अपने दायित्व की कोई सीमा निर्धारित क दी है, तब उससे अधिक रकम प्रतिभू से वसूल नहीं की जा सकती है।

यह सही है कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समान ही होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अगर किसी कारण से मूल ऋणी को दायी नहीं ठहराया जा सकता, तो प्रतिभू भी दायी नहीं होगा।

वास्तव में जिस वचन या ऋण के लिए प्रत्याभूति दी जाती है, उसके निष्पादन या भुगतान की प्रथम जिम्मेदारी मूल ऋणी की होती है। अगर निश्चित तिथि पर वह अपने वचन का पालन नहीं करता, तभी प्रतिभू का दायित्व उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। किन्तु यदि देय तिथि पर मूल ऋणी भुगतान नहीं कर पाता है तो प्रतिभू का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह तुरन्त उस दायित्व को पूरा करें।

4.10.1 प्रतिभू के दायित्व की समाप्ति (Discharge of Surety) -

यदि मूल-ऋणी अपने वचन का निष्पादन कर देता है, तो साधारणतया प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। किन्तु इसके अतिरिक्त निम्नलिखित परिस्थितियों में भी प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है-

(1) मूल अनुबन्ध की शर्त्तों में परिवर्तन किये जाने पर - यदि प्रतिभू की सहमति के बिना मूल ऋणी एवं ऋणदाता के बीच हुए मूल अनुबन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया जाता है, तो परिवर्तन के बाद उत्पन्न होने वाले दायित्वों के लिए प्रतिभू मुक्त हुआ समझा जाता है।

(2) मूल ऋणी के मुक्त होने पर - यदि मूल ऋणदाता आपस में कोई ऐसा समझौता करते हैं अथवा ऋणदाता कोई ऐसा कार्य या भूल करता है जिसके फलस्वरूप मूल ऋणी अपने-अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिभू भी दायित्व मुक्त हो जाता है।

किन्तु एक ही ऋण के लिए एक से अधिक व्यक्तियों ने प्रत्याभूति दी है, तो ऋणदाता द्वारा किसी एक सह-प्रतिभू (Co-surety) को उसके दायित्व से मुक्त किए जाने पर अन्य प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाते। (धारा 138)

Scanned with CamScanner

(3) मूल ऋणी व ऋणदाता में कोई समझौता होने पर - यदि प्रतिभू की सहमति के बिना ऋणदाता मूल ऋणी के साथ कोई समझौता संयोजित करता है अथवा अवधि बढ़ाने या मूल ऋणी पर मुकदमा चलाने का वचन देता है तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।

(4) ऋणदाता के किसी कार्य या भूल से प्रतिभू के अधिकार में कमी आने पर - यदि ऋणदाता कोई ऐसा कार्य करता है जो प्रतिभू के हित के विपरीत है अथवा कोई ऐसा कार्य करना भूल जाता है जिसे पूरा करना उसका कर्त्तव्य था, जिससे मूल ऋणी के विरुद्ध उपलब्ध प्रतिभू के अधिकार में कुछ रुकावट या कमी हो जाती है, तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त पाता है। (धारा 139)

(5) ऋणदाता द्वारा जमानत खो देने पर - जब प्रतिभू अपने दायित्व को पूरा कर देता है तो वह ऋणदाता से उस प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने का अधिकार होता है जो उसके पास जमानत के रूप में रखी थी। अतः यदि ऋणदाता जमानत की वस्तु खो देता है अथवा बिना प्रतिभू की अनुमति के उसे दूसरे को देता है तो प्रतिभू का दायित्व उस वस्तु के मूल्य के अनुपात में कम हो जायेगा। (Sec. 14)

किन्तु यह नियम जमानत की उन वस्तुओं के बारे में लागू नहीं होता जो ऋणदाता को प्रत्याभूति अनुबन्ध होने के बाद प्राप्त हुई हो।

(6) सूचना द्वारा खण्डन किए जाने पर - चालू प्रतिभू अनुबन्ध की दशा में प्रतिभू किसी भी समय ऋणदाता को प्रतिभूति की समाप्ति की सूचना देकर भविष्य के दायित्वों से अपने को मुक्त कर सकता है।

(7) प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर - प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर प्रतिभू के उत्तराधिकारी प्रतिभू की मृत्यु के उपरान्त किये गये सभी व्यवहारों से उत्पन्न सभी दायित्वों से मुक्त हो जायेंगे, बशर्ते कि इसके विपरीत अनुबन्ध में कोई अन्य व्यवस्था न हो।

(8) प्रत्याभूति अनुबन्ध के अमान्य हो जाने पर - जब कोई प्रतिभू कपट, मिथ्या वर्णन या महत्त्वपूर्ण तथ्यों को छिपा कर ली गई हो, तो प्रत्याभूति अनुबन्ध अमान्य होता है। अतः प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।

किन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रतिभूति अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता है-

(i) जब ऋणदाता मूल-ऋणी को समय देने का ठहराव किसी तीसरे व्यक्ति के साथ करता है, मूल ऋणी के साथ नहीं तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। (धारा 136)

(ii) जब ऋणदाता ऋण के देय हो जाने पर भी मूल-ऋणी के विरुद्ध समय-सीमा अवधि के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत नहीं करता या कोई अन्य उपचार का प्रयोग नहीं करता तो विपरीत अनुबन्ध के अभाव में प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

(iii) जब ऋणदाता एक सह-प्रतिभू को मुक्त कर दे तो ऐसी दशा में सह-प्रतिभू अपने-अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते।

4.10.2 प्रतिभू के अधिकार (Rights of Surety) -

प्रतिभू के निम्नलिखित अधिकार है-

(क) मूल ऋणी के विरुद्ध अधिकार (Right as against to a principal debtor) - इसके अन्तर्गत प्रतिभू को निम्नलिखित दो अधिकार प्राप्त है-

(i) प्रस्थापन का अधिकार (Rights of Subrogation) - धारा 140 के अनुसार, मूल ऋणी द्वारा चूक किए जाने पर जब प्रतिभू उसके ऋण का भुगतान कर देता है या समस्त का निष्पादन कर देता है तो उसे वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो ऋणदाता को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त था।

Scanned with CamScanner

(ii) क्षतिपूर्ति का अधिकार (Right of Indemnity) - धारा 145 के अनुसार प्रत्येक प्रत्याभूति अनुबन्ध में मूल ऋणी द्वारा यह गर्भित वचन होता है कि वह प्रतिभू की क्षतिपूर्ति करेगा और प्रतिभू उन सभी राशियों को प्राप्त करने का अधिकार रखता है जो उसने वैधानिक रूप से चुकाया है।

(ख) ऋण दाता के विरूद्ध अधिकार (Right as against the creditor) - धारा 141 के अनुसार प्रतिभूति के अनुबन्ध के समय लेनदार द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियाँ जो कि देनदार से उसने प्राप्त की है कि लाभ को लेने का अधिकारी है प्रतिभू है, चाहे प्रतिभू इन प्रतिभूतियों के विषय में जानकारी रखता है अथवा नहीं एवं लेनदार प्रतिभू की सहमति के बिना प्रतिभूतियों को वापस करता है या उसके किसी भाग को लौटा देता है तो प्रतिभू लौटायी गयी प्रतिभूतियों के मूल्य के बराबर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।

(ग) सह-प्रतिभू के विरूद्ध अधिकार (Right as against the co-surety) - जब किसी एक ऋण अथवा वचन के निष्पादन के लिए दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रत्याभूतियाँ प्रदान की गई है तो वे सह-प्रतिभू कहलाते हैं। सह-प्रतिभू के विरूद्ध किसी विशिष्ट प्रतिभू को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं-

(i) समान भाग के लिए दायित्व (Liability to contribute equally) - धारा 146 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान ऋण या दायित्व के लिए या पृथक-पृथक या संयुक्त रूप से सह-प्रतिभू है तो विपरीत अनुबन्ध के अभाव में, प्रत्येक पारस्परिक रूप से सम्पूर्ण ऋण के लिए अथवा मूल देनदार द्वारा भुगतान किये गये अंश में उत्तरदायी होगा।

(ii) भिन्न-भिन्न राशियों के लिए सह-प्रतिभूतियों का दायित्व (Liabilities of co-sureties bound in different sums) - धारा 147 के अनुसार यदि सह-प्रतिभू भिन्न-भिन्न राशियों के लिए उत्तरदायी है तो वे अपने क्रमागत दायित्वों की सीमा तक बराबर भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि किसी प्रतिभू द्वारा सम्पूर्ण ऋण का भुगतान कर दिया जाता है तो वह अन्य प्रतिभूगण से उनके दायित्व की सीमा तक बराबर-बराबर भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है।

Scanned with CamScanner